

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2671  
14 मार्च, 2016 को उत्तर के लिए

अवैध खनन

2671. डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज:

श्री ओम बिरला:  
श्री निशिकान्त दुबे:  
श्री राहुल कस्वां :  
श्री शंकर प्रसाद दत्ता:  
श्री के. परसुरमन:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पंजीकृत और गैर-पंजीकृत प्रचालित खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित अवैध खनन मामलों और इससे अनुमानित कुल राजस्व हानि कितनी है; और

(ग) देश में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) : खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 45 में भारतीय खान ब्यूरो में व्यवस्था है कि भारतीय खान ब्यूरो में पंजीकरण कराना अपेक्षित है। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में कुल 9830 पट्टों में से 8706 पट्टों के संबंध में पंजीकरण प्रदान किया गया है। राज्य वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) की धारा 23ग के तहत राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसलिए अवैध खान संबंधी मामलों राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

तथापि, आईबीएम को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अवैध खनन संबंधी तिमाही विवरणियों के आधार पर देश में वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही) तक सूचित किए गए अवैध खनन के कुल मामले **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। अनुमानित कुल राजस्व हानि संबंधी ब्यौरा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) : एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को संशोधित किया गया जो 12 जनवरी, 2015 से लागू हुआ। संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ अवैध खनन के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान हैं। अवैध खनन को दंडनीय बनाया गया है जिसमें कारावास जो पांच वर्षों तक का हो सकता है तथा जुर्माना जो क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर के लिए पांच लाख रूपए तक हो सकता है। अवैध खनन संबंधी अपराधों की तीव्र सुनवाई के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान है।

अनुबंध - I

दिनांक 29.02.2016 की स्थिति अनुसार एमसीडीआर, 1988 के नियम 45 के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण रिपोर्ट की स्थिति

क्रं.सं.	राज्य	कुल पट्टों की संख्या			पट्टों की संचयी संख्या जिनका पंजीकरण कर दिया गया			अब तक पंजीकृत न किए गए पट्टों की कुल संख्या		
		कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कुल	कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कुल	कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कुल
1	राजस्थान	813	1654	2467	813	1580	2393	0	74	74
2	कर्नाटक	194	269	463	194	255	449	0	14	14
3	केरल	60	13	73	60	13	73	0	0	0
4	ओडिशा	101	464	565	101	352	453	0	112	112
5	तमिलनाडु	290	258	548	290	188	478	0	70	70
6	उत्तराखंड	60	22	82	60	19	79	0	3	3
7	हिमाचल प्रदेश	18	21	39	18	19	37	0	2	2
8	हरियाणा	1	3	4	1	2	3	0	1	1
9	जम्मू और कश्मीर	47	11	58	47	6	53	0	5	5
10	गोवा	113	235	348	113	222	335	0	13	13
11	महाराष्ट्र	108	148	256	108	122	230	0	26	26
12	आंध्र प्रदेश	959	603	1562	900	387	1287	59	216	275
13	तेलंगाना	275	193	468	264	140	404	11	53	64
14	मध्य प्रदेश	430	678	1108	428	406	834	2	272	274
15	उत्तर प्रदेश	25	56	81	25	39	64	0	17	17
16	झारखंड	162	128	290	161	60	221	1	68	69
17	पश्चिम बंगाल	22	27	49	22	10	32	0	17	17
18	सिक्किम	0	2	2	0	0	0	0	2	2
19	असम	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20	मेघालय	14	0	14	14	0	14	0	0	0
21	मणीपुर	0	1	1	0	1	1	0	0	0
22	छत्तीसगढ़	153	163	316	153	127	280	0	36	36
23	बिहार	8	12	20	8	6	14	0	6	6
24	गुजरात	557	455	1012	557	411	968	0	44	44
	<b>सकल योग</b>	<b>4414</b>	<b>5416</b>	<b>9830</b>	<b>4341</b>	<b>4365</b>	<b>8706</b>	<b>73</b>	<b>1051</b>	<b>1124</b>

अनुबंध-II

प्रमुख और गौण खनिजों के अवैध खनन के मामलों को दर्शाने वाला वर्ष-वार, राज्य-वार विवरण

अवैध खनन के मामले						2012-13 से 2015-16 तक की गई कार्रवाई (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही)			
क्र. सं.	राज्य	2012-13	2013 - 14	2014-15	2015 - 16 (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही)	दर्ज एफआईआर (सं.)	दर्ज न्यायिक मामले (सं.)	जब्त वाहन (सं.)	राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया जुर्माना (लाख रु. में)
1	अंडमान-निकोबार	0	n.r.	n. r.	n. r.	0	0	0	0.05
2	आंध्र प्रदेश	16592	7692	9379	3931	2	1	2	1256.720
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	3238	3996	5040	2647	2	13383	1138	2644.673
5	गोवा	0	1	0	2	0	0	1	0
6	गुजरात	6023	5447	5716	2280	240	27	8941	41725.21
7	हरियाणा	3517	3589	5333	2288	613	0	0	3105.526
8	हिमाचल प्रदेश	0	n.r.	n. r.	n. r.	0	0	0	0
9	झारखंड	663	901	1162	854	1891	253	1346	1977.76
10	कर्नाटक	6677	8509	8464	4725	620	539	9720	7771.50
11	केरल	4550	4448	4172	1459	0	0	0	2487.67
12	मध्य प्रदेश	7169	6725	8173	6941	61	28830	528	14670.79
13	महाराष्ट्र	42918	36476	32717*	13292*	13	0	117848	14709.03
14	मिजोरम	16	21	26	n. r.	1	0	0	2.342
15	ओडिसा	314	76	104	39	4	4	514	1225.34
16	पंजाब	19	n.r.	n. r.	n. r.	74	0	61	45.80
17	राजस्थान	2861	2953	2945	1423	2258	53	4235	4342.727
18	तमिलनाडु	295	1078	205	25	7547	1	36135	11564.649
19	तेलंगाना	-	-	3311	3129	0	0	2	1649.016
20	उत्तर प्रदेश	3266	6777	10402	4857	0	0	0	7902.88
21	पश्चिम बंगाल	479	n.r.	n. r.	575	1132	0	703	0
	<b>कुल योग</b>	<b>98597</b>	<b>88689</b>	<b>97149</b>	<b>48467</b>	<b>14458</b>	<b>43091</b>	<b>181174</b>	<b>117081.683</b>

एनआर: विवरणी प्राप्त नहीं ।